न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–32 / 2020

उनवान

1. श्री देवीलाल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र दर्जी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. पवन कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द्र दर्जी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथ माली पुत्र श्री पीथा माली निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::– **अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0**
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1)– अनु0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 02 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.03.2022

यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) की आराजी नम्बर 1230 रकबा 0.3035 है0 आराजी नम्बर 1231 रकबा 0.3920 है0 कुल किता 02 रकबा 0.6955 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात जो वादीगण के खातेदरी हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज है। वादीगण की चरण सख्या 01 में वर्णित आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजियात व अन्य आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ जिला भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके [illegible] 2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 एक की नियत की में फितुर आ [illegible] 01 जो कि उक्त आराजियात का पूर्वी दिशा का पडौसी है, जिसने माह मई 20[illegible] में प्रतिवादी संख्या [illegible] आराजी नम्बर 1230 व 1231 की पूर्वी मेड की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर पर कब्जा कर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

आराजियात मे मिला लिया। उक्त आराजियात की दिनांक 17 जून 2020 को भू अभिलेख व पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया गया, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 एक का उक्त आराजियात के पूर्व दिशा की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया।

वादीगण संख्या 01 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर उनके द्वारा किये कब्जे को छोडने हेतु कहा, प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा फसल कटने के बाद कब्जा छोडने का विश्वास दिलाया लेकिन फसल कटने के बाद भी कब्जा नही छोडा व हर बार टालमटोल करता चला आ रहा व प्रतिवादी संख्या 01 हर बार टालमटोल करते रहे व आज दिन तक कब्जा नही छोडा व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 25 अक्टूबर 2020 उन्नीस को उक्त आराजी पर किये गये अवैध कब्जे को छोडकर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया तथा आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक का कुछ नही बिगाड सकते है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है एवं वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 का सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1230 रकबा 0.3035 है0 आराजी नम्बर 1231 रकबा 0.3920 है0 के पूर्वी दिशा की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वार किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द करया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय आज से माह मई 2020 दो हजार बीस मे कब्जा कर लेने व दिनांक 17 जून 2020 को मौका पर्चा मे प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया जाने व दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कब्जा छोडने से इंकार कर देने से उत्पन्न होकर निरन्तर से जारी है। प्रतिवादी संख्या 01 सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1230 रकबा 0.3035 है0 आराजी नम्बर 1231 रकबा 0.3920 है0 के पूर्वी दिशा की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गय कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे व प्रतिवादीगण के कब्जे को पुलिस इमदाद के जरिये हटाया जाना फरमावें।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 बावजूद [illegible] होने से दिनांक 19.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने अपनी [illegible] देवीलाल पिता श्री जगदीश चन्द्र दर्ज निवासी हमीरगढ के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 47/2019 श्री देवीलाल बनाम श्री गोपाल वगैरह पारित आदेश दिनांकित 13.08.2019 की प्रतियां एवं इन आदेशों की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

ने दिनांक 17.06.2020 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी । मौका देखने से पहले भू अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित पड़ौसियान जिसमें कि प्रतिवादी श्री गोपाल सिंह पिता श्री देवी सिंह राजपुत निवासी हमीरगढ भी है उसको भी सूचनापत्र जारी किये थे और उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया था। इन सूचनापत्रों की प्रतियां भी साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है। साक्ष्य में प्रदर्श मार्क किये गये ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–76 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण की आराजी सं. 1230 रकबा 0.3035 है आराजी नम्बर 1231 रकबा 0.3920 है पूर्वी दिशा की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 15 बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 15 बिस्वांसी भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2020

उनवान

1. श्री देवीलाल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र दर्जी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. पवन कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द्र दर्जी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथ माली पुत्र श्री पीथा माली निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::– अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1)– अनु0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 02 उप0

वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया वादपत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण की आराजी सं. 1230 रकबा 0.3035 है आराजी नम्बर 1231 रकबा 0.3920 है पूर्वी दिशा की तरफ 15 बिस्वांसी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 15 बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 15 बिस्वांसी भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से दिलाया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ